



E-ISSN: 2664-603X

P-ISSN: 2664-6021

IJPSG 2025; 7(10): 232-236

www.journalofpoliticalscience.com

Received: 06-09-2025

Accepted: 09-10-2025

डॉ० कुमुद प्रभाकर

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग
कन्या महाविद्यालय आर्य समाज भूड,
बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत।

डॉ० विनीता सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
कन्या महाविद्यालय आर्य समाज भूड,
बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत।

वर्तमान भारतीय समाज में संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

कुमुद प्रभाकर, विनीता सिंह

DOI: <https://www.doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i10c.730>

सारांश

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है जिसकी व्यवस्था एक लोकतान्त्रिक संविधान पर आधारित है। भारत का संविधान इस सन्दर्भ में विशेष है कि यह अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये मौलिक अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में बरेली जनपद के नागरिकों में संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता देखने का एक प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध हेतु 350 नागरिकों का चयन स्तरीकृत यादुच्छिक न्यादर्शन विधि से किया गया है। यह एक गुणात्मक शोध अध्ययन है जिसमें आँकड़ों का संकलन स्व-निर्मित 'संवैधानिक मौलिक अधिकार प्रश्नावली' की सहायता से किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, टी-मान एवं एफ-परीक्षण (एनोवा) का प्रयोग किया गया है। शोध परिणामों से ज्ञात हुआ कि महिला नागरिकों की अपेक्षा पुरुष, ग्रामीण नागरिकों की अपेक्षा नगरीय एवं निरक्षर व स्कूली शिक्षित नागरिकों की अपेक्षा उच्च शिक्षित नागरिक संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं। भारत के सभी नागरिकों में संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिये शिक्षा का प्रसार-प्रचार, संवैधानिक प्रक्रिया में सहभागिता, मीडिया का सहयोग, ग्राम सभा द्वारा संवैधानिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि किया जाना चाहिये।

शब्द-कुंजी : लोकतन्त्र, गरिमापूर्ण जीवन, संवैधानिक मूल अधिकार, जागरूकता आदि।

प्रस्तावना**अध्ययन की पृष्ठभूमि (Background of the study)**

भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विस्तृत लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक प्रगतिशील संविधान है। भारत का लोकतन्त्र संविधान से पोषित है, जो राष्ट्र के रूप में लोकतन्त्र की नींव को मजबूत करता है। भारतीय संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो मानवीय अधिकारों का संरक्षण करता है। संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रमुख है। संवैधानिक मूल अधिकार भारत के नागरिकों को मात्र विधिक सुरक्षा ही नहीं देते बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, समता, स्वतन्त्रता तथा मानवीय गरिमा की अवधारणा को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन (2011) ने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के विषय में कहा था कि "भारतीय संविधान के मूल अधिकार संविधान की आत्मा तथा नैतिक नींव है"।

संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट करते हुये कहा था कि "संविधान प्रदत्त अधिकार तभी प्रभावी होंगे जब नागरिक उनके प्रति सजग और सक्रिय होंगे" इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी भारतीय समाज का एक बड़ा तबका अपने संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ है। अनेक शोध अध्ययन यह बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अल्पसंख्यकों एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूकता और कम है। भारतीय संविधान के विषय में डी० डी० बसु (2018) का कथन है कि "लोकतन्त्र का मूल अधिकार और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रमुख साधन है"।

वर्तमान भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है। बढ़ती हुई शैक्षिक सुविधाओं, वैश्वीकरण, नागरिक आंदोलनों, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं, सूचना प्रौद्योगिकी व सोशल मीडिया ने नागरिक अधिकारों की जानकारी व प्रसार-प्रचार को नवीन दिशा प्रदान की है। अनेक सामाजिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, मीडिया, न्यायपालिका आदि ने संवैधानिक मूल अधिकारों व नागरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परंतु ऐसा देखने व सुनने में आता है कि भारत में सामान्य नागरिक आज भी अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है तथा इसीलिए वे उन्हें अपने व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं।

Corresponding Author:**डॉ० कुमुद प्रभाकर**

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग
कन्या महाविद्यालय आर्य समाज भूड,
बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत।

उक्त के संदर्भ में यह शोध अध्ययन अत्यंत उपयोगी एवं समाज हित में होगा। यह अध्ययन भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता का मापन तो करेगा ही, साथ ही साथ संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु संभावनाओं एवं उपायों को सुझाने में भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व (Need and Importance of Study)

भारत का शासन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित है। लोकतन्त्र की सफलता संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करती है। एक वास्तविक लोकतन्त्र नागरिकों की जागरूकता, शिक्षा व सक्रिय भागीदारी पर आधारित होती है। संविधान व उसके प्रावधानों की जागरूकता से ही नागरिकों में लोकतन्त्र के प्रति विश्वास और सहभागिता बढ़ती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार समाज में प्रचलित जातीय, लैंगिक, धार्मिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। समाज में व्याप्त अन्याय एवं भेदभाव से निपटने के लिए संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता आवश्यक है। प्रसिद्ध संविधानविद एम0 पी0 जैन (2018) के अनुसार “भारतीय संविधान लोकतान्त्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का साक्षी है”। संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता के अभाव में सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न के शिकार होते हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह ज्ञात किया जा सकेगा कि किन वर्गों में मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता अधिक है तथा उसे बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं। प्रस्तुत शोध शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों एवं नीति नियंताओं को यह समझाने में सहायता करेगा कि किन-किन क्षेत्रों में संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में ऑनलाइन अपराधों एवं सोशल मीडिया के चलन के साथ ही शोषण व अपराधों की प्रकृति भी निरन्तर बदल रही है अतः इस स्थिति में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है कि सभी नागरिक अपने अधिकारों से भिन्न हों।

शोध अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of study)

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित शोध उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं-

- ग्रामीण एवं नगरीय भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- पुरुष एवं महिला भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त तथा उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- मौलिक अधिकारों के प्रयोग में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का अध्ययन करना।
- मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रभावी उपाय और सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की परिकल्पनाएँ (Hypothesis of study)

- पुरुष एवं महिला भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
- ग्रामीण एवं नगरीय भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
- निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त तथा उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध पद्धति (Research Methodology)

- शोध उपागम (Research Approach):** प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु

गुणात्मक अनुसंधान उपागम का प्रयोग किया जायेगा।

- शोध विधि (Research Method):** प्रस्तुत शोध अध्ययन सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर पूरा किया जायेगा। प्रस्तुत शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर जागरूकता मापनी के माध्यम से आँकड़ों का सर्वेक्षण किया जायेगा।
- शोध की प्रकृति (Nature of Research):** प्रस्तुत शोध कार्य वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक प्रकृति का होगी।
- जनसंख्या (Population):** प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु ग्रामीण व नगरीय नागरिक, पुरुष व महिला नागरिक तथा निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त व उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय नागरिकों को शोध जनसंख्या माना जायेगा।
- न्यादर्श व न्यादर्शन विधि (Sample and Sampling Technique):** प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने के लिये उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से कुल 300 नागरिकों के न्यादर्श का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा निम्नवत किया गया-

तालिका-1: न्यादर्श योजना

लिंग		अवस्थिति		शिक्षा का स्तर			कुल
पुरुष	महिला	ग्रामीण	नगरीय	निरक्षर	कम शिक्षित	उच्च शिक्षित	
50	50	50	50	50	50	50	50

- शोध उपकरण (Research Tool):** प्रस्तुत शोध हेतु आँकड़ों का संग्रह स्व-निर्मित ‘संवैधानिक मूल अधिकार प्रश्नावली’ का निर्माण किया गया, जिसमें नागरिकों को संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों से संबंधित कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। उपकरण की विश्वसनीयता 75 तथा विषयवस्तु वैद्यता संतोषजनक थी।
- आँकड़ों का संग्रह (Collection of Data):** शोध अध्ययन हेतु आँकड़ों का संग्रह सर्वेक्षण विधि द्वारा व्यक्तिगत व ऑनलाइन संपर्क के माध्यम से ‘संवैधानिक मूल अधिकार प्रश्नावली’ को प्रशासित कर प्राप्त किया गया।
- सांख्यिकी प्रविधि (Statistical Method):** एकत्रित किए गए आँकड़ों का विश्लेषण आवश्यक है तभी कुछ सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों का विश्लेषण करने हेतु मध्यमान, मानक विचलन, टी-मान एवं एनोवा का प्रयोग किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण (Analysis of Data)


प्रस्तुत अध्ययन में एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण निर्धारित परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए निम्नवत किया गया है-

H01: पुरुष एवं महिला भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के प्रति पुरुष व महिला नागरिकों की जागरूकता में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए 50 पुरुष नागरिक तथा 50 महिला नागरिकों से एक प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया। तत्पश्चात आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए उचित सांख्यिकी का प्रयोग कर मध्यमान, मानक विचलन व टी-मान की गणना की गई जिसका प्रदर्शन तालिका संख्या-2 में निम्नवत दिया गया है -

तालिका 2: संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु पुरुष तथा महिला नागरिकों के मध्य टी-मान की गणना

समूह	संख्या (N)	मध्यमान	समूह	संख्या (N)	मध्यमान
पुरुष	50	30.9		98	9.18*
महिला	50	25			



रेखाचित्र 1: संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति पुरुष व महिला नागरिकों के मध्यमान व मानक विचलन की तुलना

तालिका 02 से स्पष्ट है कि संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु पुरुष तथा महिला नागरिकों के आंकड़ों का मध्यमान क्रमशः 30.9 व 25 प्राप्त हुआ तथा जबकि दोनों समूहों के मध्य टी-मान 9.18 प्राप्त हुआ।

उक्त समस्त मानों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि पुरुष नागरिकों का मध्यमान महिला नागरिकों के मध्यमान से अधिक है। मध्यमान से स्पष्ट है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष नागरिक संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं। साथ ही दोनों समूहों के मध्य टी-मान 9.18 प्राप्त हुआ जो .01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, क्योंकि गणना किया गया टी-मान, टी-अनुपातों के क्रान्तिक मान से अधिक है। टी-मान से ज्ञात होता है कि संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति पुरुष नागरिक महिला नागरिकों से अधिक जागरूक हैं। अतः शून्य परिकल्पना 'पुरुष एवं महिला भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति


जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है' को सार्थकता स्तर .01 पर निरस्त किया जा सकता है।

H02: ग्रामीण एवं नगरीय भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के प्रति ग्रामीण एवं नगरीय नागरिकों की जागरूकता में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए 50 ग्रामीण नागरिक तथा 50 नगरीय नागरिकों से एक प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया गया। तत्पश्चात् आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए उचित सांख्यिकी का प्रयोग कर मध्यमान, मानक विचलन व टी-मान की गणना की गई जिसका प्रदर्शन तालिका संख्या-3 में निम्नवत दिया गया है:-

तालिका 03: संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु ग्रामीण एवं नगरीय नागरिकों के मध्य टी-मान की गणना

समूह	संख्या (N)	मध्यमान
(M)	मानक विचलन	
(SD)	डिग्री ऑफ फ्रीडम	



रेखाचित्र 2: संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति ग्रामीण एवं नगरीय नागरिकों के मध्यमान व मानक विचलन की तुलना

तालिका 03 से स्पष्ट है कि संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु ग्रामीण एवं नगरीय नागरिकों के आंकड़ों का मध्यमान क्रमशः 24.14 व 30.62 प्राप्त हुआ तथा जबकि दोनों समूहों के मध्य टी-मान-10.28 प्राप्त हुआ।

उक्त समस्त मानों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि नगरीय नागरिकों का मध्यमान ग्रामीण नागरिकों के मध्यमान से अधिक है। मध्यमान से स्पष्ट है कि ग्रामीणों की अपेक्षा नगरीय नागरिक संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति अधिक

जागरूक हैं। साथ ही दोनों समूहों के मध्य टी-मान-10.28 प्राप्त हुआ जो .01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, क्योंकि गणना किया गया टी-मान, टी-अनुपातों के क्रान्तिक मान से अधिक है।


टी-मान से ज्ञात होता है कि संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति नगरीय नागरिक ग्रामीण नागरिकों से अधिक जागरूक हैं।

अतः शून्य परिकल्पना 'ग्रामीण एवं नगरीय भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है' को सार्थकता स्तर .01 पर निरस्त किया जा सकता है।

H03: निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त तथा उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के प्रति निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त एवं उच्च शिक्षा प्राप्त नागरिकों की जागरूकता में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए 50 निरक्षर, 50 स्कूली शिक्षा प्राप्त एवं 50 उच्च शिक्षा प्राप्त नागरिकों से एक प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया। तत्पश्चात् आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए उचित सांख्यिकी का प्रयोग कर मध्यमान, मानक विचलन व एफ-मान की गणना की गई जिसका प्रदर्शन तालिका संख्या-4 में निम्नवत दिया गया है

तालिका 04: संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त एवं उच्च शिक्षा प्राप्त नागरिकों के मध्य एफ-मान (प्रसरण विश्लेषण) की गणना

समूह	संख्या (N)	मध्यमान	समूह	संख्या (N)	मध्यमान
निरक्षर	50	11.16	2.30	147	358.13*
स्कूली शिक्षा प्राप्त	50	22.34	2.37		
उच्च शिक्षा प्राप्त	50	34.58	6.18		



रेखाचित्र 3: संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त एवं उच्च शिक्षा प्राप्त नागरिकों के मध्यमान व मानक विचलन की तुलना

तालिका 04 से स्पष्ट है कि संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त एवं उच्च शिक्षा प्राप्त नागरिकों के आँकड़ों का मध्यमान क्रमशः 11.16, 22.34 व 34.58 प्राप्त हुआ जबकि दोनों समूहों के मध्य एफ-मान (प्रसरण-विश्लेषण) 358.13 प्राप्त हुआ।

उक्त समस्त मानों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षित नागरिकों का मध्यमान निरक्षर व स्कूली शिक्षित नागरिकों के मध्यमान से अधिक है। मध्यमान से स्पष्ट है कि निरक्षर तथा स्कूली शिक्षित नागरिकों की अपेक्षा उच्च शिक्षित नागरिक संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं। साथ ही तीनों समूहों के मध्य एफ-मान 358.13 प्राप्त हुआ जो .01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, क्योंकि गणना किया गया एफ-मान, एफ-अनुपातों के क्रान्तिक मान से अधिक है। एफ-मान से ज्ञात होता है कि संवैधानिक मूल अधिकारों के प्रति निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त एवं उच्च शिक्षा प्राप्त नागरिकों की जागरूकता में सार्थक अंतर विद्यमान है। अतः शून्य परिकल्पना 'निरक्षर, स्कूली शिक्षा प्राप्त तथा उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है' को सार्थकता स्तर .01 पर निरस्त किया जा सकता है।

शोध निष्कर्ष एवं परिचर्चा (Research findings and Discussion)

शोध अध्ययन के उक्त आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि महिला नागरिकों में संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पुरुषों की अपेक्षा कम है

। चूँकि महिला भी मानव समाज का समान महत्व का भाग है जिसे अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है, क्योंकि महिला वर्ग अनेक शोषणों का भी शिकार रहा है। इस अवस्था में महिला वर्ग को भी अपने अधिकारों को जानना और उनका प्रयोग करना जरूरी है। महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने हेतु कुछ बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है, जैसे-शिक्षा और साक्षरता बढ़ाना, मौलिक अधिकारों के बारे में जन-जागरूकता अभियान, अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म, निशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श, स्थानीय स्तर पर सहभागिता एवं नेतृत्व, शिक्षक पाठ्यक्रम द्वारा, सामाजिक संरक्षण आदि। नगरीय नागरिकों की अपेक्षा ग्रामीण नागरिकों में भी मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर कम पाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाएं बढ़ाकर, जन-जागरूकता अभियान चलाकर, ग्राम सभा की चर्चा द्वारा, मीडिया और डिजिटल साधनों द्वारा, कानूनी सहायता व साक्षरता अभियान चलाकर, महिला व युवा समूहों की भागीदारी, गैर सरकारी प्रयासों आदि उपायों द्वारा जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है।

निरक्षर नागरिक मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे कम जागरूक है जबकि उच्च शिक्षित नागरिक सबसे अधिक जागरूक है, अतः स्पष्ट है कि शिक्षा मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता व व्यावहारिकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है।

इसलिए नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक व व्यावहारिक बनाया जा सकता है।

किसी देश के नागरिकों का अपने संविधान व अधिकारों के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। एक जागरूक नागरिक ही देश के विकास में पूर्ण योगदान दे सकता है तथा एक स्वस्थ व विकसित समाज की स्थापना कर सकता है। केन, एम0 (2020) के अनुसार "लोकतन्त्र में नागरिकों की जागरूकता का प्रभाव देश की राजनीति पर भी पड़ता है"। किसी राष्ट्र में व्यक्ति अपने मानवाधिकार पाकर अपने आपको देश का सभ्य व शिक्षित नागरिक बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति के मौलिक अधिकार ही उसको अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने एवं शान्ति व सहयोगपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। पाण्डे (2022) के अनुसार "व्यक्ति के मनवाधिकार उसको समाज में शांतिपूर्ण व गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने, स्वयं तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होते हैं"। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार 'सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा' से मेल खाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई। इसमें प्रत्येक मानव के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रताओं की स्वीकृति दी गई। इसे ही विश्व में मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। "चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान एवं अविच्छिन्न अधिकारों की स्वीकृति ही विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय और शान्ति की नींव है।

संदर्भ सूची

1. ऑस्टिन, जी0 (1999). भारतीय संविधान: एक राष्ट्र की आधारशिला. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
2. बैरवा, एच0 (2023). जनजातीय शैक्षिक विकास एवं संवैधानिक प्रावधान. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न मैनेजमेंट, अप्लाइड साइंस & सोशल साइंस, 5(1), 53-57.
3. बसु, डी0 डी0 (2024). भारत का संविधान: एक परिचय. गुड़गांव: लेक्सिस नेक्सस पब्लिकेशन.
4. भारत सरकार (1950). भारत का संविधान. नई दिल्ली: भारत सरकार.
5. केन, एम0 (2020). भारतीय नागरिकों की राजनैतिक-सामाजिक जागरूकता. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमेनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च, 6(5), 102-104.
6. पाण्डे, एस0 के0 (2022). मानवाधिकार जागरूकता एवं शान्ति आधारित शिक्षा. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी (IJARSCT), 2(1), 83-87.
7. जैन, एम0 पी0 (2018). इंडियन कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ. गुड़गांव: लेक्सिस नेक्सस पब्लिकेशन.